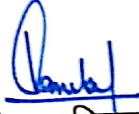


राजस्व आदेश अनुवृत्ति - पत्र

(1)	(2)	(3)
30.06.2025	-प्रकरण पेश । -प्रकरण में वनपरिक्षेत्राधिकारी बलौदा तथा राजस्व निरीक्षक बलौदा का संयुक्त जांच प्रतिवेदन प्राप्त । - प्रकरण में पृथक से आदेश पारित किया जाकर प्रकरण में संलग्न । -पक्षकार टीप करे । तत्पश्चात प्रकरण नस्तीबद्धकर दा0 द0 हो ।  अनुविभागीय अधिकारी (रा.) जांजगीर(अकलतरा/बलौदा)	

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अकलतरा जिला-जांजगीर-चांपा (छ0ग0)

प्ररूप-ग

(नियम 3(2)देखिये)

अनुज्ञा

५-1/14771 क्र.दि.नं.1/2025
प्रति,

कलकत्ता दि. 30.06.2025

कनिजा बेगम पति शेख गुलजार
ग्राम बलौदा तहसील बलौदा

विषय:- प्राकृतिक /रोपित से उगे वृक्ष की कटाई हेतु अनुज्ञा।

विषयांतर्गत आवेदिका कनिजा बेगम पति शेख गुलजार निवासी ग्राम बलौदा तहसील बलौदा जिला-जांजगीर-चांपा छ.ग. के द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है कि ग्राम जावलपुर तहसील बलौदा में आवेदक के हक एवं स्वामित्व की भूमि खसरा नं. 3722/1, 3722/3 , 3728 एवं 3717/1 कुल रकबा 0.765 है. भूमि अवस्थित है जिस पर 41 नग सागौन का वृक्ष रोपित किया गया है उक्त 41 नग सागौन के वृक्ष को काटे जाने की अनुमति हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अभिलेख एवं वनपरिक्षेत्राधिकारी वन परिक्षेत्र बलौदा एवं राजस्व निरीक्षक बलौदा के प्रतिवेदन के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता /पहुंचती हूँ कि ग्राम जावलपुर तहसील बलौदा स्थित भूमि खसरा नं. 3717/1 में अवस्थित 20 नग सागौन के वृक्ष में से 20 नग सागौन के वृक्ष को काटे जाने पर संहिता के किन्ही उपबंधों का उल्लंघन नहीं हो रहा है। अतः उक्त वृक्ष कटाई के आवेदन पर अनुज्ञा दी जाती है।

छत्तीसगढ़ वनउपज (व्यापार विनियम) अधिनियम, 1969 (क. 9 सन् 1969) एवं भारतीय वन अधिनियम 1927 (1927 का 16) के अंतर्गत निर्मित छत्तीसगढ़ परिवहन (वन उपज) नियम 2001 का पालन नहीं किए जाने पर यह अनुशंसा शून्य होगी।

यह अनुज्ञा आवेदन दिनोंक से एक कलेण्डर वर्ष तक मान्य रहेगी। आवेदक को उक्त वृक्ष की कटाई वन विभाग से कराने की अनुमति दी जाती है।

५-१/14781 क्र.दि.नं.1/2025
प्रतिलिपि:-

1. कलेक्टर जिला-जांजगीर-चांपा छ.ग. की ओर सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. वनमंडाधिकारी वनमंडल चांपा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. वनपरिक्षेत्राधिकारी वन परिक्षेत्र बलौदा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. तहसीलदार बलौदा को वृक्ष कटाई पश्चात् राजस्व अभिलेख अद्यतन करने हेतु।

अनुविभागीय अधिकारी (रा0)
जांजगीर (अकलतरा/बलौदा)
कलकत्ता दि. 30.06.2025

अनुविभागीय अधिकारी (रा0)
जांजगीर (अकलतरा/बलौदा)